

प्रेषक,

मो० वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद महराजगंज,
जनपद-महराजगंज।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 14 अगस्त, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-152/आरएफ1044/नौ-9-2018-154आरएफ/18, दिनांक-25.10.2018 एवं शासनादेश संख्या-172/आरएफ1453/ नौ-9-2018-171आरएफ/18, दिनांक-07.12.2018 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 में पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में उक्त शासनादेश में उल्लिखित अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्य हेतु नगर पालिका परिषद महराजगंज, जनपद-महराजगंज को क्रमशः ₹0 79.29 लाख एवं ₹0 76.68 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि क्रमशः ₹0 39.645 लाख एवं ₹0 38.34 लाख अवमुक्त की गयी है।


2. उक्त धनराशि के सापेक्ष, कराये गये कार्यों की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी, महराजगंज द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिलाधिकारी, महराजगंज की उक्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन नगर पालिका परिषद महराजगंज, जनपद-महराजगंज को द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि क्रमशः ₹0 39.645 लाख एवं ₹0 38.34 लाख कुल ₹0 77.985 लाख (₹0 सतहत्तर लाख अठ्ठानबे हजार पांच सौ मात्र) अनुदान संख्या-83, पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से अवमुक्त किये जाने की मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83, के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02मल जल तथा सफाई 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-0402-नगर पालिका परिषदें30-निवेश /ऋण " के नामे डाला जायेगा।
2. संबंधित निकाय द्वारा चालू कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा, जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी निकाय के खाते में उक्त बिल के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तरित की जानी सुनिश्चित करेंगे।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31 मार्च, 2024 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. शासनादेश संख्या-152/आरएफ1044/नौ-9-2018-154आरएफ/18, दिनांक-25.10.2018 एवं शासनादेश संख्या-172/आरएफ 1453/ नौ-9-2018-171आरएफ/18, दिनांक-07.12.2018 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
5. उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि जिलाधिकारी प्रथम किश्त की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर से करा कर संतुष्ट हो लेंगे, तभी द्वितीय किश्त की धनराशि का उपभोग किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि से शासनादेश संख्या-864/नौ-9-20-एल०सी०/19, दिनांक-19 जून, 2020 द्वारा भुगतान की गयी धनराशि (यदि कोई हो) की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 77,98,500 (रुपये सतहतर लाख अट्ठानबे हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 6215027890402 नगर पालिका परिषदें मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।


4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो० ग्रामसिफ)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 18 /2023/RF 570/नौ-9-2023/003-E-1700470, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. जिलाधिकारी, महाराजगंज।
5. कोषाधिकारी, महाराजगंज।
6. निजी सचिव, मा० मन्त्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01, उ०प्र० शासन।
8. गार्ड फाइल।
9. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(मो० वासिफ)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-14/08/2023

प्रेषण संख्या:- 18
आवंटन आदेश संख्या:- 001-18-2023-RF570-9-9-2023-003-E-1700470
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)
(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
04 - पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना
02 - नगर पालिका परिषदें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	महाराजगंज-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान	7798500	7798500
		प्रगामी	7798500	7798500
	योग	वर्तमान	7798500	7798500
		प्रगामी	7798500	7798500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सतहत्तर लाख अठानवे हजार पाँच सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सतहत्तर लाख अठानवे हजार पाँच सौ


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव